वसुंधरा राजे
माननीया मुख्यमंत्री

कालीचरण सराफ
माननीय उच्च शिक्षा मंत्री

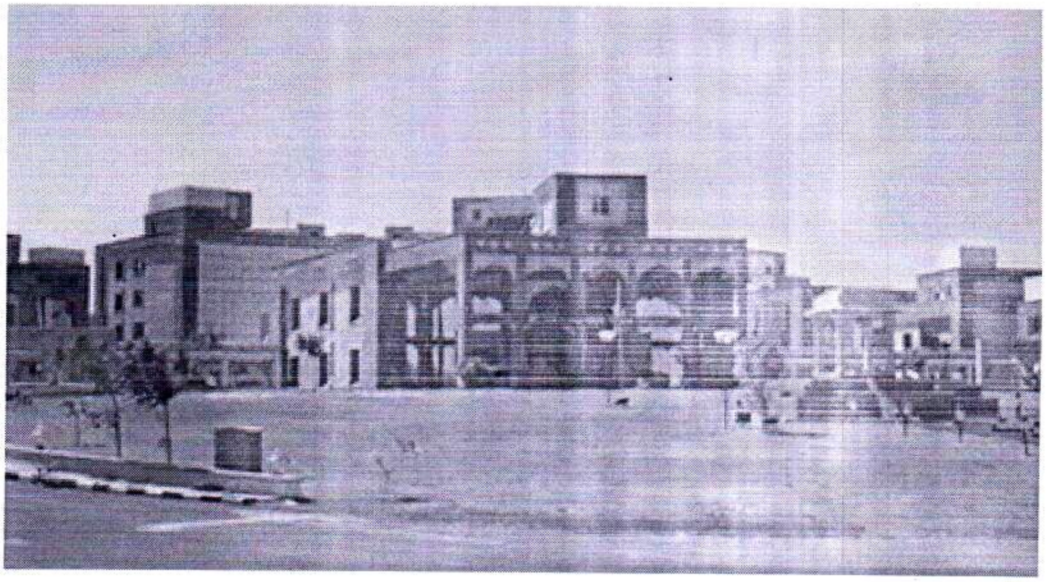

निजी महाविद्यालय नीति

कालेज शिक्षा विभाग, राजस्थान

ब्लाक 4, डा0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

राजस्थान सरकार

कालेज शिक्षा विभाग, राजस्थान

निजी महाविद्यालय नीति

सत्र 2015–16 से प्रभावी

ब्लाक 4, डा0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
दूरभाष एवं फैक्स नं0 0141 2706736
वेबसाईट **www.dce.rajasthan.gov.in**
E.mail - **jdpi.cce@gmail.com**

निजी महाविद्यालयों हेतु दिशा–निर्देश

ये दिशा–निर्देश निजी महाविद्यालयों हेतु पूर्व में प्रसारित सभी दिशा–निर्देशों के अतिक्रमण में प्रसारित किये जा रहे हैं तथा सत्र 2015–16 से प्रभावी होंगे । राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 का पालन इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त सभी महाविद्यालयों को करना होगा । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा कालेजों को सम्बद्धता) विनियम, 2009 एवं समय–समय पर यू.जी.सी. द्वारा प्रसारित तत्सम्बन्धी समस्त विनियम इन दिशा–निर्देशों का भाग होंगे – केवल भूमि एवं स्थायी कायिक निधि (सावधि जमा) के मानदण्डों को छोडकर ।

1. **पंजीयन**

1.1 निजी महाविद्यालय के संचालन हेतु आवेदक एक समिति/संस्था/ट्रस्ट का गठन करेगा, जिसका पंजीयन "राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958" अथवा "राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959" अथवा "भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882" के अन्तर्गत होना अनिवार्य है।

1.2 समिति /संस्था/ट्रस्ट के पंजीकृत विधान के उद्देश्यों में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं व्यवस्था का उल्लेख होना अनिवार्य है।

1.3 प्रत्येक मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के लिए नीचे विहित रीति से एक प्रबंध समिति गठित की जायेगी–

(क) प्रबन्ध समिति संस्था या संस्थाओं के प्रधान या प्रधानों सहित 15 से 21 सदस्यीय होनी चाहिए जिसमें 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है।

(ख) प्रबंध समिति में किसी भी एक समुदाय, जाति या पंथ के दो–तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होंगे ।

(ग) कुल सदस्यता के एक–तिहाई से अन्यून सदस्य दाताओं या अभिदाताओं में से होंगे।

(घ) स्थायी स्टाफ में से चयनित एक सदस्य प्रबंध समिति में सम्मिलित किया जायेगा ।

(ड) कम से कम एक सदस्य प्रबंध द्वारा चलायी जा रही संस्था या संस्थाओं के विद्यार्थियों के माता–पिता में से सहयोजित किया जायेगा ।

(च) संस्था के कम से कम एक प्रतिष्ठित पुराने विद्यार्थी को प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा ।

(छ) प्रबन्ध समिति में न्यूनतम दो शिक्षाविज्ञ सदस्य होंगे ।

(ज) प्रबंध प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् निर्वाचन करवायेगा और नयी प्रबंध समिति का गठन करेगा।

1.4 निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर ही नवीन महाविद्यालय का नामकरण किया जावें :–

(क) उस क्षेत्र में पूर्व स्थापित महाविद्यालय से मिलता–जुलता नाम न रखा जावें।

(ख) महाविद्यालय के नाम में आपत्तिजनक/ प्रतिबन्धित शब्द न हो ।

(ग) केवल 'कन्या महाविद्यालय, ' 'सहशिक्षा महाविद्यालय,' 'वाणिज्य महाविद्यालय' जैसे नाम भी न रखे जावें । ये केवल महाविद्यालय की श्रेणी हैं ।

(घ) 'कन्या महाविद्यालय ' खोलने की स्थिति में महाविद्यालय के नाम में कन्या अथवा महिला शब्द आवश्यक रूप से जोडे ।

2. **अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र** ·

2.1 राजस्थान राज्य में कहीं भी नवीन महाविद्यालय की स्थापना के लिये समिति/ न्यास द्वारा आवेदन करने पर तथा आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सही होने को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र से समर्थित होने पर कालेज शिक्षा विभाग द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जायेगा । निरीक्षण में मानदण्ड पूर्ण पाये जाने पर **आवेदित सत्र से** समिति/न्यास को महाविद्यालय संचालन हेतु तीन सत्र का अस्थायी अनापति प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा ।. तीन सत्र के पश्चात् संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु प्रति वर्ष तब तक आवेदन करना होगा जब तक स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता । किसी भी संस्था को भूतलक्षी प्रभाव से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा ।

2.2 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड –

2.2.1 मानदण्डानुसार स्वंय की भूमि ।

2.2.2 मानदण्डानुसार स्वंय का भवन (प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिये किराये का भवन भी मान्य होगा) ।

2.2.3 निर्धारित राशि की सावधि जमा (एफ.डी.आर.) ।

2.2.4 निर्धारित छात्र सुविधायें ।

2.2.5 सुदृढ वित्तीय स्थिति के साक्ष्य यथा – बैक पासबुक की छाया प्रति ।

2.2.6 महाविद्यालय का आगामी दस वर्षो का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर), जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का स्पष्ट समावेश हो :–

(क) संस्था/ न्यास का शैक्षणिक संस्था संचालन का अनुभव, पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण एवं लक्ष्य (Vision & Mission)।

(ख) महाविद्यालय की समयवार विकास योजना ।

(ग) भावी वित्तीय संसाधनो का विवरण ।

3. **आवेदन पत्र निरस्तीकरण**

नवीन महाविद्यालय का आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर, मानदण्डानुसार दस्तावेजों की प्रतियॉ संलग्न नही होने पर, निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अथवा निरीक्षणोपरान्त समय पर कमियों की पूर्ति नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा **आवेदन शुल्क नहीं लौटाया जायेगा** । संस्था को आगामी सत्र के लिये शुल्क सहित पुनः आवेदन करना होगा।

4. **सम्बद्धता**

संस्थाओ को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रानुसार निर्धारित सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति कर निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा। **सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से तथा अन्य नियामक**

संस्थाओं से सम्बद्धता एवं अनुमोदन लेने के उपरान्त ही महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से स्वीकृत सीटों की संख्या तक प्रवेश दिया जा सकेगा, जिसका दायित्व संस्था का होगा ।

5. **स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र**

संस्था द्वारा पांच अकादमिक सत्र संतोषप्रद ढंग से पूर्ण करने पर ही महाविद्यालय स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये पात्र होंगे । बशर्ते कि उन्होंने निर्धारित समस्त मापदण्डों को पूर्ण कर लिया हो। संस्था के द्वारा आवेदन किये जाने पर निरीक्षणोपरान्त स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा ।

6 **स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड**

(क) मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि ।
(ख) मानदण्डानुसार स्वयं का भवन ।
(ग) प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति का सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन अथवा अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत व्याख्याताओं की सूची सहित प्रेषित पत्र की प्रति ।
(घ) महाविद्यालय के स्टॉफ का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा हो।
(ड) महाविद्यालय के समस्त स्टॉफ की पी.एफ. कटौती नियमानुसार की जा रही हों ।
(च) छात्र–छात्राओं की समुचित सुविधाओं का विकास कर लिया हो ।
(छ) मानदण्डानुसार विधिवत रूप से कालेज परिषद का गठन कर लिया गया हो।
(ज) गत तीन वर्षो का छात्रों का औसत परीक्षा परिणाम सम्बद्धक विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम के समकक्ष हो ।

7. <u>पूर्ति करने योग्य अत्यावश्यक दस्तावेज</u>–

अस्थायी / स्थायी / नवीन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् **संस्था को प्रत्येक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर निम्नानुसार कार्यवाही आवश्यक रूप से करनी होगी–**

1. **सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका की पूर्ति कर विभाग में निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा । सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है।**
2. **मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेवपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture Format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा । इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेवपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी ।**
3. विभागीय पत्रों का उत्तर डाक से भेजने के साथ–साथ E.mail से भी भेजना आवश्यक होगा ।
4. संस्थायें अपनी बेवसाईट आवश्यक रूप से बनायेगी तथा उसे प्रति 15 दिन में अपडेट करती रहेगी एवं निरन्तर विभागीय बेवसाईट www.dce.rajasthan.gov.in का अवलोकन करती रहें, जिससे विभाग द्वारा निजी महाविद्यालयों हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देशों की जानकारी हो सके तथा उनकी अनुपालना की जा सके ।

5 महाविद्यालय परिसर में यथा सम्भव वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करवायी जाये ।
6 महाविद्यालय में यथा सम्भव स्मार्ट क्लास रूम्स की स्थापना की जाये ।
7 पुस्तकालय, कक्षा कक्ष एवं समस्त महाविद्यालय परिसर में प्रेरणास्पद वाक्य लिखे जायें ।

8 **प्रत्यायन एवं निरीक्षण –**

स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात समय–समय पर महाविद्यालयों को NAAC अथवा केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य किसी सांविधिक प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा । समय–समय पर विभाग के निरीक्षण दल द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण भी किया जायेगा ।

9 **विधि महाविद्यालय**

विधि महाविद्यालय उन्हीं स्थानों पर खोले जा सकेंगे जहां जिला/एडीजे न्यायालय/सी.जे.एम कोर्ट उपलब्ध होंगे । अतः उन्हीं स्थानों के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जावें। संस्था **बी.सी.आई. मान्यता एवं सम्बद्धक विश्वविद्यालय से सम्बद्धता अपने स्तर पर प्राप्त करेंगी ।**

10 **सहशिक्षा में परिवर्तन**

10.1 स्थायी/ अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात् महिला महाविद्यालय का सहशिक्षा में परिवर्तन स्वीकार तभी किया जायेगा जब महाविद्यालय सहशिक्षा के मापदण्ड (भूमि, भवन व एफ.डी.आर.) पूरे करता हो।

10.2 **संस्था में अध्ययनरत 100 अथवा कुल विद्यार्थियों के 25% (जो भी अधिक हो) के अभिभावको से सहशिक्षा में परिवर्तन की सहमति प्राप्त कर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।**

10.3 अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद संस्था नियमानुसार आवेदन करके सहशिक्षा से महिला शिक्षा में परिवर्तन करवा सकती है ।

11 **अनापत्ति प्रमाण पत्र का स्तर**

11.1 **प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र, कन्या महाविद्यालयों को सह–शिक्षा में परिवर्तन की अनुमति, नवीन विषय/ संकाय संचालित करने की अनुमति, नाम परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन की अनुमति तथा स्नातकोत्तर क्रमोन्यन की अनुमति राज्य सरकार के अनुमोदन से जारी की जायेगी । (महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन सम्बन्धित तहसील की सीमा तक हो सकेगा) ।**

11.2 **अस्थायी अनापत्ति प्रमाण में अभिवृद्धि, प्रबन्ध अन्तरण की अनुमति आयुक्तालय स्तर से जारी की जायेगी ।**

पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा नवीन विषय/ संकाय/ स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन हेतु आवेदन करने पर महाविद्यालय का परीक्षा परीणाम सम्बन्धित विषय/ संकाय में विश्वविद्यालय के औसत परीक्षा परिणाम के समकक्ष होने पर ही अनुमति दी जायेगी ।

12 **अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्तीकरण**

अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबन्ध को अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित परिस्थितियों में उसका अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र या स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लिया जा सकेगा –

(क) यदि किसी संस्था का प्रबन्धन कपट/दुर्व्यपदेशन से या तात्त्विक विशिष्टियों को छिपाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करता है या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के

पश्चात् कोई संस्था इन नियमों के परिशिष्ट–I में विहित भवन सम्बन्धी किन्हीं भी निबन्धों और शर्तो का पालन करने में विफल रहती है।

(ख) यदि प्रबन्ध मण्डल ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, किसी शैक्षिक संस्था या उसके किसी भाग को बन्द कर दिया है।

(ग) यदि प्रबन्धन ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, शैक्षिक संस्था को किसी अन्य भवन या स्थान में स्थानान्तरित कर दिया है।

(घ) यदि संस्था का प्रबन्धन सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रबन्ध समिति/ संस्था को अंतरित कर दिया गया है।

(ड) यदि अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की कालावधि की समाप्ति पर प्रबन्ध या तो अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि को बढाने या स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी को विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने मे विफल रहता है।

13 दण्डात्मक कार्यवाही

13.1 स्थायी/ अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्था द्वारा विभागीय दिशा–निर्देशों की पालना नहीं करने पर तथा उसके द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं दस्तावेज निरीक्षण तथा परीक्षण के दौरान असत्य पाये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –
पहली बार रूपये 5000, दूसरी बार रूपये 10000, तीसरी बार रूपये 20000 की शास्ति अधिरोपित कर वसूल की जायेगी तथा चौथी बार में संस्था के स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को पुनः अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में परिवर्तित/ अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा ।

13.2 प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये किराये का भवन होने पर यू. जी. सी. विनियम 2009 की धारा 3.3 के प्रावधानानुसार 3वर्ष की अवधि में मानदण्डानुसार स्वंय का भवन निर्माण करना होगा अन्यथा चतुर्थ वर्ष में रूपये 1.00 लाख एवं पंचम वर्ष में रूपये 2.00 लाख की शास्ति अधिरोपित कर वसूल की जायेगी।

13.3 प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् 5 वर्ष में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मापदण्ड पूर्ण न करने पर छठे वर्ष में रूपये 2.00 लाख की शास्ति, सातवें वर्ष में रूपये 3.00 लाख की शास्ति तथा आठवें वर्ष में रूपये 4.00 लाख की शास्ति जमा करवाने पर ही अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि दी जायेगी । इसके पश्चात भी स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मानदण्ड पूर्ण नहीं करने पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमशः निरस्त करने की कार्यवाही की जावेंगी ।

13.4 सत्र 2007–08 एवं इससे पूर्व स्थापित अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय यदि स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मापदण्ड पूर्ण नहीं करते हैं तो वर्ष 2015–16 में 5.00 लाख रूपये की शास्ति एवं वर्ष 2016–17 में 6.00 लाख रूपये की शास्ति जमा करवाने पर उन्हें अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि प्रदान की जायेगी। इसके बाद भी स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मानदण्ड पूर्ण न करने पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को क्रमिक रूप से निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

14 मान्यता शुल्क

14.1 संस्थायें समस्त राशियों को एक साथ जोडकर कुल राशि आनलाईन चालान द्वारा अथवा ई–बैकिंग द्वारा जमा करवा कर विभाग के नाम का मूल चालान अथवा रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करे।

14.2 आवेदन शुल्क का विवरण निम्न प्रकार से है –

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपयों मे)
1	**नवीन महाविद्यालयों के लिये (समस्त विषय/ संकाय)–**	
	(क) सहशिक्षा महाविद्यालय	60,000
	(ख) महिला महाविद्यालय	15,000
	(ग) उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछडे क्षेत्र (परिशिष्ट–II)	15,000
	(घ) आरक्षित विधानसभा क्षेत्र (परिशिष्ट–III)	15,000
2	**अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि/ स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र**	25,000
3	सहशिक्षा परिवर्तन/ नाम परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन/ प्रबन्ध अन्तरण (प्रत्येक के लिए)	25,000
4	दस्तावेज कम्प्यूटरीकरण शुल्क (सभी महाविद्यालयों के लिए आवश्यक)	5000
5	मान्यता शुल्क– स्थायी मान्यता प्राप्ति के बाद प्रतिवर्ष	25000
6	पूर्व संचालित महाविद्यालयों हेतु नवीन विषय/संकाय/स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन के लिये	25000

14.3 आवश्यक होने पर समय–2 पर विभाग स्तर पर उपर्युक्त शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा ।

14.4 **निजी महाविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार का शुल्क/आवेदन शुल्क आदि राजकोष में ऑन लाइन जमा करवाने हेतु निम्न प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी:–**

1- WWW.egras.raj.nic.in पर लॉगिन करें।

2- यूजर नेम एवं पासवर्ड दोनो में guest टंकित करें व एन्टर कोड में नीचे दर्शाया गया कोड टंकित कर Log in क्लिक करें।

3- विभाग (Department) सूची में क्रम सं0 15 पर College Education Department Select करें।

4- Major Head में 0202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति को Select करें। इसके बाद दर्शाये गये मदों में 0202–01–103–02–01 संचालक, महाविद्यालय शिक्षा के द्वारा >> पर प्रेस कर Submit करने पर E-Challan प्रपत्र दर्शित होगा।

5- E-Challan प्रपत्र में दर्शित कॉलम को निम्न प्रकार टंकित करें –

1- District में Jaipur टंकित करें।

2-Office Name में 11503-Dy. Dir, College Education, Jaipur को Select करें।

3- District wise Treausary select करें।

4- Select Period में "ONE TIME" को Select करें।

5- बजट हैड में राशि टंकित करें।

6- Type of Payment में "E-Banking/Manual" को Select करें।

7- Name of Bank में "Tilak Marg SBBJ, Jaipur" को Select करें।

8- Challan/DD. No. में 000000 टंकित करें। (E-Banking में लागू नहीं)

9- Remitter's Name में College का नाम टंकित करें।
10- महाविद्यालय एरिया का Pin Code नम्बर टंकित करें।
11- Town/City/District में "District" का नाम टंकित करें।
12- Address में महाविद्यालय का पूर्ण पता टंकित करें।
13- Remark में शुल्क का Nature टंकित करें यथा (Application fee, New Subject fee, New faculty fee etc.)
14- Submit पर क्लिक करें व चालान प्रपत्र का प्रिन्ट निकाल कर नकद राशि संबंधित बैक में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें एवं मूल प्रति विभाग में प्रस्तुत करें। E-Banking द्वारा जमा कराने की स्थिति में जमा पुष्टि की रसीद संलग्न करें।

15 स्थायी कायिक निधि (सावधि जमा/ एफ.डी.आर.)

15.1 नवीन निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने से पूर्व पांच वर्ष के लिए सावधि जमा (एफ.डी.आर.) के रूप में महाविद्यालय के नाम, पता एवं संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें), आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के संयुक्त खाते में निम्न तालिकानुसार राशि जमा करवाकर एफ.डी.आर. की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	सामान्य क्षेत्र	आरक्षित/ पिछडा क्षेत्र
1	सहशिक्षा महाविद्यालय	10.00	05.00
2	महिला महाविद्यालय	04.00	02.00

15.2 महाविद्यालय के नाम तथा संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें), कॉलेज शिक्षा के संयुक्त नाम से बनी एफडीआर का संस्था अपरिहार्य कारणों से नगदीकरण कराने का आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं –

15.2.1 एफ.डी.आर. बनवाने के बाद भी संस्था ने आवेदन नहीं किया हो अथवा संस्था ने आवेदन किया हो परन्तु संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो ऐसी स्थिति में नगदीकरण की अनुमति दी जा सकेगी ।

15.2.2 अगर संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो गया हो किन्तु संस्था द्वारा आवश्यक विभागीय मापदण्ड़ों की समय पर पूर्ति नहीं करने के कारण महाविद्यालय को क्रमिक रूप से बन्द करने का आदेश दिया गया हो अथवा संस्था के स्वयं के महाविद्यालय संचालन में असमर्थता व्यक्त करने पर नगदीकरण की अनुमति दी जा सकेगी **लेकिन अगर विभाग द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित की गई है व उसका संस्था द्वारा भुगतान नहीं किया गया है तो उतनी राशि मय 18 प्रतिशत ब्याज (Overdue-Period के लिए) विभाग में जमा कराने पर ही संस्था नकदीकरण प्राप्त करने की अधिकारी होगी ।**

15.2.3 एफडीआर नकदीकरण हेतु 10/–रू० के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित करवाकर निम्नलिखित आशयों का प्रस्तुत करना होगा :–

(क) महाविद्यालय का संचालन पूरी तरह से बन्द कर दिया गया है एवं किसी भी कक्षा में कोई भी विद्यार्थी अध्ययनरत नही है ।

(ख) महाविद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का कोई वेतन भुगतान बकाया नही है ।

(ग) महाविद्यालय/ संस्था ने किसी भी प्रकार का ऋण आदि प्राप्त नही किया है।

(घ) महाविद्यालय/ संस्था ने सरकार से किसी भी प्रकार की भूमि एवं भवन आदि रियायती दर पर प्राप्त नही किया है ।

15.3 महाविद्यालय संचालन की स्थिति में सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) की अवधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व ही नवीनींकरण हेतु आवेदन करना होगा । (एफ.डी. आर. पर किसी भी स्थिति में ऋण नहीं लेवें) ।

16 आवेदन पत्र प्रस्तुतीकरण की तिथियां

16.1 सत्र 2016–17 से अनापत्ति प्रमाण पत्र (अस्थायी/ स्थायी/ अभिवृद्धि) प्राप्त करने हेतु एवं सहशिक्षा परिवर्तन/ नाम परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन/प्रबन्ध अन्तरण/ नवीन विषय/ नवीन संकाय/ स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन हेतु एक सत्र पूर्व में आवेदन करना होगा ।

16.2 सत्र 2016–17 एवं अग्रिम वर्षो में आवेदन पत्र विभाग में जमा करवाने की तिथियां निम्नानुसार होगी :–

(क) **प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक – बिना विलम्ब शुल्क ।**

(ख) **प्रतिवर्ष 1 नवम्बर से 15 नवम्बर तक – रूपये 25,000/– विलम्ब शुल्क सहित**

16.3 सत्र 2015–16 के लिये आवेदन की तिथियां निम्नानुसार होगी –

क. 20 मई 2015 तक – बिना विलम्ब शुल्क

ख. 05 जून 2015 तक – विलम्ब शुल्क रूपये 25,000/– सहित

17 भूमि

17.1 सत्र 2015–16 से पूर्व स्थापित महाविद्यालयों हेतु उनके स्थापना वर्ष अथवा सत्र 2015–16 के भूमि सम्बन्धी न्यूनतम मानदण्ड में से जो भी कम हो – लागू होंगे जो निम्नानुसार है :–

विवरण	2012–13 से 2014–15 तक	2007–08 से 2011–12 तक	2006–07	2003–04 से 2005–06 तक
जयपुर महानगर	2000 व.मी.	2000 व.मी.	2000 व.मी.	10 एकड
संभाग मुख्यालय	4000 व.मी.	2000 व.मी.	2000 व.मी.	10 एकड
जिला मुख्यालय	5000 व.मी.	4000 व.मी.	4000 व.मी.	10 एकड
अन्यत्र	8000 व.मी.	5000 व.मी.	10000 व.मी.	10 एकड

17.2 सत्र 2015–16 से स्थापित होने वाले महाविद्यालयों हेतु भूमि सम्बन्धी न्यूनतम मानदण्ड पूर्ववर्ती वर्ष के मानदण्डानुसार ही निम्नानुसार होंगे –

क्र.सं.	स्थान	महाविद्यालय के लिए (अविवादित स्वामित्व वाली)
1	जयपुर महानगरीय(जे.डी.ए .) क्षेत्र	2000 वर्गमीटर
2	अन्य सम्भागीय मुख्यालय (स्थानीय निकाय सीमा)	4000 वर्गमीटर
3	जिला मुख्यालय (स्थानीय निकाय सीमा)	5000 वर्गमीटर
4	अन्य समस्त क्षेत्र	8000 वर्गमीटर

17.3 **भूमि पर संस्था का स्वयं का विवादरहित पूर्ण स्वामीत्व एवं कब्जा हो । भूमि सांस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो अथवा रूपान्तरण करवाने हेतु शुल्क जमा करवा दिया गया हो। भूमि किसी भी प्रकार के ऋणभार से मुक्त होनी चाहिये ।**

17.4 भूमि से सम्बन्धित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिये –

1. **आवेदक संस्था के नाम से भूमि के पंजीकृत दस्तावेज/सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि पट्टा। रूपान्तरण आदेश अथवा रूपान्तरण हेतु जमा करवाये गये शुल्क की रसीद एवं इस आशय का शपथ पत्र कि रूपान्तरण होने के बाद दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये जायेंगे (संस्था के पदाधिकारियों के नाम से दर्ज भूमि मान्य नहीं होगी)।**
2. **राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि की वर्गमीटर में माप का प्रमाण पत्र।**
3. **प्रस्तावित कॉलेज के लिये पंजीकृत सोसायटी /न्यास का प्रस्ताव जिसमें कॉलेज के लिये भूमि को चिन्हित किया गया हो।**

18 भवन –

18.1 परिशिष्ट 1 के अनुसार भवन आवश्यक होगा ।

18.2 भवन से सम्बन्धित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिये–

1. **पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार किया गया तथा सम्बन्धित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन का नक्शा (ब्ल्यू प्रिन्ट)।**
2. **स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि "संस्था का भवन संस्था के नाम दर्शायी गयी भूमि (पूरा पता) पर ही स्थित है " (सम्पूर्ण भवन का उपयोग केवल महाविद्यालय के संचालनार्थ किया जा रहा हो) ।**
3. **संस्था के नाम से भवन के पंजीकृत दस्तावेज –विक्रय पत्र/ दान पत्र । अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मानदण्डानुसार भवन का महाविद्यालय के नाम पंजीकृत किरायानामा/ पंजीकृत लीज भी मान्य होगी (किराये का भवन उसी स्थानीय निकाय/ ग्राम पंचायत की सीमा में होना आवश्यक है, जिसमें महाविद्यालय की भूमि स्थित है) । किराये के भवन में कक्ष मानदण्डानुसार माप के उपलब्ध न होने की स्थिति में उनका महाविद्यालय के उपयोगार्थ छात्र संख्या के दृष्टिगत युक्तिसंगत माप में होना आवश्यक है।**
4. **भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र ।**

19 आवश्यक गुणात्मक सुधार

19.1 महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., रोवरिंग/रेंजरिंग, महिला प्रकोष्ठ, योजना मंच, छात्र रोजगार परामर्श केन्द्र, उपभोक्ता क्लब, मानवाधिकार क्लब आदि का भी संचालन किया जायेगा ।

19.2 स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक माह में एक दिवस निश्चित कर अपने निकटवर्ती राजकीय चिकित्सालय, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, प्राकृतिक जल स्रोत, सार्वजनिक पार्क एवं बाजार इत्यादि स्थानों पर सामूहिक रूप से कैम्प लगाकर स्वच्छता हेतु अभियान चलायेंगे तथा सफाई करवाकर समाज को जागृत करने का कार्य करेंगे ।

19.3 छात्रों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए एवं समाज में जागृति लाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष (मानसून के समय) महाविद्यालय परिसर, खेलकूद मैदान, सार्वजनिक स्थल (हॉस्पिटल, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, सार्वजनिक पार्क एवं बाजार) इत्यादि स्थलों पर कम से कम पचास या महाविद्यालय की छात्र संख्या के अनुसार वृक्षारोपण के लिए अभियान चलाया जाये तथा भविष्य में इन वृक्षों का पालन पोषण भी सुनिश्चित किया जाये ।

19.4 महाविद्यालय विद्यार्थियों में समाज के प्रति सहयोग की भावना जागृत करने के उद्देश्य से प्रत्येक सत्र में पं0 दीनदयाल उपाध्याय जयन्ती दिनांक 25 सितम्बर को स्थानीय राजकीय अस्पतालों से सम्पर्क करके रक्तदान शिविर लगाने का कार्य करवाया जायें ।

19.5 महाविद्यालयों को तम्बाकू मुक्त परिसर बनाने के प्रयास किये जाये तथा छात्रों को नशीले पदार्थो के सेवन से होने वाले प्रभावों से अवगत कराये जायें ।

19.6 महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय का प्रत्येक छात्र स्नातक कक्षाओं में अध्ययन के दौरान तीन वर्ष में कम से कम एक निरक्षर पुरूष/ महिला को साक्षर करें ।

19.7 अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवसों के सन्दर्भ में महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करें ताकि भारतीय परिप्रेक्ष्यं में छात्रों में जागृति पैदा हो।

20 प्रवेश प्रक्रिया –

सभी निजी महाविद्यालयों से अपेक्षा है कि सत्र 2015–16 से प्रवेश की आनलाईन प्रक्रिया अपनायेंगे । जो महाविद्यालय आनलाईन प्रवेश प्रक्रिया अपनायेंगे उन्हें अग्रिम वर्ष में (प्रमाण प्रस्तुत करने पर) आवेदन शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

21 परीक्षा परिणाम –

21.1 नवीन अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् संस्था का प्रथम सत्र का परीक्षा परिणाम सम्बद्धक विश्वविद्यालय के औसत परीक्षा परिणाम के समकक्ष से कम रहने पर अग्रिम सत्र में छात्रों का प्रथम वर्ष में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा । इसके पश्चात् अग्रिम सत्र में छात्रों का परीक्षा परिणाम सम्बद्धक विश्वविद्यालय के औसत परीक्षा परिणाम के समकक्ष रहने पर प्रथम वर्ष में पुनः प्रवेश की छूट दी जायेगी।

21.2 स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय का औसत परीक्षा परिणाम किसी भी वर्ष में सम्बद्धक विश्वविद्यालय के औसत परीक्षा परिणाम की अपेक्षा 20 प्रतिशत कम रहने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में परिवर्तित कर दिया जायेगा । इसके पश्चात् अग्रिम सत्र में पुनः 20 प्रतिशत परीक्षा परिणाम कम रहने पर प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा । विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम के समान परीक्षा परिणाम होने पर प्रथम वर्ष में प्रवेश की पुनः अनुमति दे दी जायेगी । तीन वर्ष तक यह स्थिति बराबर चलने पर पुनः स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जायेगा ।

22 स्टाफ

प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आवंटित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी. टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करनी होगी।

23 छात्र सुविधायें

संस्था को आवश्यक छात्र सुविधायें यथा – जल, विद्युत्, स्वच्छता, शौचालय (छात्र, छात्रायें, स्टाफ के लिए अलग–अलग), पुस्तकालय, वाचनालय, सहशिक्षा महाविद्यालय होने पर गर्ल्स कॉमन रूम, खेल मैदान, खेल सामग्री, फर्नीचर, वाहन स्टैण्ड आदि सृजित करनी होगी ।

24 पाठ्यक्रम

सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त छात्रहित में कम्प्युटर, चीनी, जापानी आदि विदेशी भाषा, कौशल एवं आजीविका, सडक सुरक्षा, योग आदि से सम्बन्धित अन्य पाठ्यक्रम/ वोकेशनल पाठ्यक्रम (विवरण परिशिष्ट IV पर उपलब्ध है) एवं विविध प्रकार के डिप्लोमा यथा पुस्तकालय विज्ञान, Geographic Information system (G.I.S.) का भी संचालन किया जाना चाहिये।

25 आवेदन पत्र

आवेदन पत्रों के प्रारूप निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है ।

परिशिष्ट–I

न्यूनतम भवन मानदण्ड

क्र. सं.	कक्षों का प्रकार	वर्षवार कक्षों की संख्या				आकार पूर्व स्थापित महाविद्यालय	यूजीसी द्वारा विहित मानदण्डानुसार आकार नवीन महाविद्यालय
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	कुल		
	कक्षा कक्ष कला संकाय	3	2	2	7	20'×30'	30'×30'
	कक्षा कक्ष वाणिज्य संकाय	2	1	1	4	20'×30'	30'×30'
	कक्षा कक्ष विज्ञान संकाय	3	2	1	6	20'×30'	30'×30'
	कक्षा कक्ष स्नातकोत्तर प्रत्येक विषय के लिए	1	–	–	1	20'×30'	30'×30'
	कक्षा कक्ष विधि संकाय (मूट कोर्ट सहित)	2	2	3	7	20'×30'	30'×30'
	कक्षा कक्ष व्यावसायिक पाठ्यक्रम (बी.बी.ए., बी.सी.ए, बी.एस.सी. आई.टी., विविध डिप्लोमा आदि) प्रति पाठ्यक्रम	1	1	1	3	20'×30'	30'×30'
	प्रायोगिक विषयों हेतु आवश्यक उपकरणों सहित प्रयोगशाला विषयवार	1	–	–	1	20'×30'	40'×30'
	कार्यालय कक्ष	2	–	–	2	15'×20'	15'×20'
	भण्डार कक्ष	1	–	–	1	20'×30'	30'×30'
	प्राचार्य कक्ष	1	–	–	1	12'×12'	15'×20'
	उपाचार्य कक्ष (छात्र संख्या 300 से अधिक होने पर)	1	–	–	1	12'×12'	15'×20'
	प्राध्यापक कक्ष	1	–	–	1	20'×30'	30'×30'
	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / क्रीडा	1	–	–	1	20'×30'	30'×30'
	पुस्तकालय कक्ष	1	–	–	1	20'×30'	30'×30'
	वाचनालय कक्ष	1	–	–	1	20'×30'	30'×30'
	सभा भवन	–	–	–	–	–	30'×50'
	गर्ल्स कॉमन रूम	1	–	–	1	15'×20'	15'×20'
	शौचालय छात्र–छात्राओं एवं स्टाफ के लिए अलग–अलग						
	वाहन स्टेण्ड						
	पेयजल एवं विद्युत्						

नोटः– यू.जी.सी. विनियम 2009 की धारा 3.1.3 के प्रावधानानुसार नवीन महाविद्यालयों हेतु कक्षा–कक्षों में प्रति छात्र न्यूनतम 15 वर्गफीट तथा प्रयोगशालाओं में प्रति छात्र न्यूनतम 20 वर्गफीट स्थान उपलब्ध होना चाहिये ।

परिशिष्ट–II
उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछडे उपखण्डों की सूची

क्र.सं.	थ्जला	उपखण्ड
1	टजमेर	1 रूपनगढ
		2 टाटगढ
2	बाडमेर	3 शिव
		4 सिवाना
		5 रामसर
		6 सेडवा
3	बांरा	7 किशनगंज
4	भीलवाडा	8 बनेडा
		9 कोटड़ी
		10 बदनोर
		11 फूलियाकलॉ
		12 हमीरगढ
		13 रायपुर
5	बीकानेर	14 पूगल
		15 छतरगढ
6	चित्तौडगढ	16 गंगरार
		17 भूपालसागर
7	दौसा	18 नांगलराजावतान
8	डूंगरपुर	19 बिच्छीवाडा
		20 चिकली
9	जैसलमेर	21 फतहगढ
		22 भनियाणा
10	जालौर	23 जसवंतपुरा
11	झालावाड	24 असनावर
12	जोधपुर	25 शेरगढ
		26 बाप
		27 बावडी
13	करौली	28 मण्डरायल
14	कोटा	29 कनवास
		30 दीगोद
15	नागौर	31 खींवसर
16	पाली	32 रायपुर
17	राजसमन्द	33 कुंभलगढ
18	सवाईमाधोपुर	34 मलारना डूंगर
		35 वजीरपुर
19	उदयपुर	36 लसाडिया
		37 बडगांव
	कुल योग	37

नोट :– उक्त सूची अनन्तिम है । यह सूची समय–समय पर संशोधित की जायेगी । इसके अलावा भी ऐसे क्षेत्र जहॉ कोई भी सरकारी अथवा निजी महाविद्यालय नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पिछडे क्षेत्र की सूची में माना जा सकता है। आवेदक संस्था को उपखण्ड कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि उनके महाविद्यालय का स्थान उपरोक्त सूची में वर्णित उपखण्ड क्षेत्र में आता है ।

परिशिष्ट–III
राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र
1	अजमेर	दूदू, अजमेर दक्षिण
2	अलवर	अलवर ग्रामीण
3		कठूमर
4	बाडमेर	चौहटन
5	भरतपुर	बयाना
6		वैर
7	भीलवाडा	शाहपुरा
8	बीकानेर	खाजूवाला
9	बून्दी	केशोरायपाटन
10	चित्तौडगढ	कपासन
11	चुरू	सुजानगढ
12	श्रीगंगानगर	अनूपगढ
13		रायसिंहनगर
14	जयपुर	दूदू
15		चाकसू
16		बगरू
17	जालोर	जालोर
18	झालावाड	डग
19	झुझुनू	पिलानी
20	जोधपुर	भोपालगढ
21		बिलाडा
22	कोटा	रामगंजमण्डी
23	नागौर	जायल
24		मेडता
25	पाली	सोजत
26	सवाई माधोपुर	खण्डार
27	सीकर	धोद
28	सिरोही	रेवदर
29	टोंक	निवाई
30	बारां	बांरा–अटरू
31	दौसा	सिकराय
32	करौली	हिण्डौन
33	धौलपुर	बसेडी
34	हनुमानगढ	पीलीबंगा

राजस्थान में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधान सभा क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र
1	अलवर	राजगढ–लक्ष्मणगढ
2	बांसवाडा	कुशलगढ
3		गढ़ी
4		घाटोल
5		बागीडोरा
6		बांसवाडा
7	डूंगरपुर	सागवाडा
8		चेरासी
9		डूंगरपुर
10		टासपुर
11	सवाई माधोपुर	बामनवास
12	सिरोही	पिण्डवाडा आबू
13	उदयपुर	झाडोल
14		उदयपुर ग्रामीण
15		सलूम्बर
16		खेरवाडा
17		गोगून्दा
18		धारियावाद
19	बारां	किशनगंज
20	दौसा	लालसोट
21	करौली	सपोटरा
22		टोडाभीम
23	जयपुर	जमवारामगढ़
24		बस्सी
25	चितौड़गढ	प्रतापगढ

उपर्युक्त दोनों सूचियां निर्वाचन विभाग द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधनों के अध्यधीन मान्य होगी ।

नोट :–आवेदक संस्था को जिला कलेक्टर अथवा एस.डी.एम. से नवीनतम यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि उनके महाविद्यालय का स्थान आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में आता है ।

(चेक लिस्ट)

नवीन निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु

1. समिति के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं विधान की प्रति ।
2. पंजीयक से पंजीकृत 15–21 सदस्यीय प्रबन्ध समिति की सूची जिसमें 30 प्रतिशत महिलाये हो ।
3. प्रबन्ध समिति द्वारा निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति। (सिलेबस प्रति संलग्न नहीं करे)
4. विषय / संकाय की सूची मय शुल्क का विवरण **(आवेदन शुल्क एवं विषय शुल्क जोड़कर एक साथ आनलाईन जमा कराये)**
5. जहॉ महाविद्यालय स्थापित किया जाना है, यदि वह क्षेत्र आरक्षित विधानसभा / पिछडा क्षेत्र में स्थित है तो इस आशय का प्रमाण पत्र (एडीएम / एसडीएम द्वारा जारी) ।
6. प्रस्तावित महाविद्यालय **(नाम व पता)** एवं संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें) के संयुक्त खाते में स्थाई निधि में 5 वर्ष के लिए नवीनतम एफ.डी.आर. की प्रति।
7. संस्था के नाम स्वयं के भूमि–भवन का पंजीकृत दानपत्र / विक्रय पत्र की प्रति **(भूमि वर्ग मीटर में)। संस्था के नाम भवन लीजडीड / किराये पर है तो उसकी पंजीकृत प्रति ।**
8. भवन का पी डब्लूडी / सक्षम अधिकारी से प्रमाणित मानचित्र (प्रस्तावित एवं वर्तमान भवन मानचित्र) एवं सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर के छाया चित्र।
9. नवीनतम (सत्रानुसार) भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी यथा– सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास संस्थान, राजस्थान पुल निर्माण अथवा पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जारी) ।
10. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चत करने का घोषणा पत्र।
11. यदि किराये का भवन है तो संस्था को तीन वर्ष के भीतर मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर भवन का निर्माण करना होगा, इस आशय का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।
12. महाविद्यालय को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित करने का प्रमाण पत्र (संलग्न) ।

उपरोक्त समस्त दस्तावेजो की फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है ।

नोट :– सम्पूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993" देखें और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा कालेजों को सम्बद्धता) विनियम, 2009 एवं समय–समय पर यू.जी.सी. द्वारा प्रसारित तत्सम्बन्धी समस्त अधिनियमों का भी अवलोकन करें ।

आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीन निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
आवेदित सत्र ——————

भाग – 'अ'

नवीन महाविद्यालय संबंधी सामान्य विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

I प्रस्तावित महाविद्यालय का प्रकार सामान्य (स्नातक) / विधि

II प्रस्तावित महाविद्यालय की श्रेणी सहशिक्षा / महिला

III क्या प्रस्तावित महाविद्यालय पिछडे क्षेत्र में आता है– हां / नहीं
(अगर हां तो नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

IV क्या प्रस्तावित महाविद्यालय आरक्षित विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है?**(अगर हां तो नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)** हां / नहीं

V आवेदन शुल्क राशि रू0.......................चालान कमांक .... दि0 .... बैक.....
(चालान/ रसीद के पीछे समिति/महाविद्यालय का नाम व स्थान अवश्य अंकित करे)

VI एफ.डी.आर. राशि रू0 ....कमांक ....दि0 .... बैक..................
.... अवधि ....

1. प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम एवं ....
   पूर्ण पता ....
   पिन कोड ....तहसील..............................उपखण्ड ....जिला................
   लोक सभा क्षेत्र ....विधान सभा क्षेत्र.......................................
   दूरभाष नं. मय एसटीडी कोड ....
   फैक्स नं. ....
   मोबाइल ....
   ई–मेल पता ....
   संस्था की बेबसाईट का पूर्ण पता(आवश्यक)..
2. सम्बद्धक विश्वविद्यालय ....
3. प्रबन्ध समिति के सचिव का नाम, पता व ....
   दूरभाष नम्बर ....
   ई–मेल पता ....

4. आवेदक समिति/ट्रस्ट का नाम व पता मय ....
पंजीकरण कमांक एवं दिनांक ....

5. आवेदक समिति/ ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के नाम व पता ....
....
....

6. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत विधान की प्रति संलग्न करें ....

7. पंजीयक द्वारा अनुमोदित वर्तमान प्रबन्ध समिति ....
के सदस्यों के नाम,पते, टेलीफोन नंम्बर, व्यवसाय सूची संलग्न करें

8. वर्तमान प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की तिथि ....

9. प्रस्तावित महाविद्यालय की क्षेत्रीय आवश्यकता एवं ....
औचित्य का आधार ....

भाग – 'ब'

आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

1. भूमि–

(अ) 1. सरकार से आवंटित 2. निजी व्यक्ति से क्रय 3. दान से प्राप्त

(ब) भूमि का क्षेत्रफल **केवल** वर्ग मीटर में.............................खसरा नं0 / प्लाट नं0.....................
....

(संस्था के नाम भूमि के पंजीकृत दस्तावेज संलग्न करें)

2. भवन :–

1. सरकार से आवंटित 2. निजी व्यक्ति से क्रय 3. दान से प्राप्त 4. लीज पर 5. किराये पर

(अ) भवन का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)

1. महाविद्यालय 2. समिति / ट्रस्ट

3. अन्य(स्पष्ट नाम लिखें) ....
(भवन का प्रमाणित ब्लू प्रिन्ट, स्वामित्व / किरायानामा के पंजीकृत दस्तावेज, नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(ब) भवन का क्षेत्रफल केवल वर्ग मीटर में ....

(स) कक्षों की संख्या व आकार लिखें :–

प्रशासनिक

	प्राचार्य कक्ष	स्टाफ रूम	कार्यालय कक्ष	भंडार कक्ष	क्रीडा कक्ष
मापवर्गफुटमें					
कमरा नं.					

अकादमिक

कक्षा कक्षों की कुल संख्या ...		प्रयोगशाला की कुल संख्या........	पुस्तकालय	वाचनालय
मापवर्गफुटमें				
कमरा न				

छात्र सुविधाएं

कामन रूम	साईकिल स्टेण्ड	जल भंडारण	पुरूष टायलेट्स	महिला टायलेट्स

(द) यदि भवन किराये का है तो भूमि व भवन के मध्य दूरी ....

भाग – 'स'

अकादमिक सूचनाओं का विवरण

1. राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रानुसार निर्धारित सम्बद्धक विश्वविद्यालय का नाम ....

....

2. आवेदित संकाय ....

....

3. **आवेदित विषय** ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

4. चाहे गये विषय–संकाय सम्बद्धक
विश्वविद्यालय में उपलब्ध होने बाबत शपथ पत्र ....

हस्ताक्षर मय दिनांक
(अध्यक्ष / सचिव प्रबंध समिति)

भाग – 'द'

घोषणा पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री...

अध्यक्ष/सचिव..एतद्द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की पालना की घोषणा करता/करती हूँ कि–

1 महाविद्यालय में सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा राज्य सरकार के नियमो व नीतियों के अनुसार कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

2 महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म/ राजनैतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन हेतु नहीं किया जायेगा । यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनीतिक प्रचार–प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरूद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति/धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

4. महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्र में संचालित किया जायेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

5. महाविद्यालय के संचालन हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः (Intoto) पालना की जायेगा । यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

6. संस्था द्वारा तीन वर्ष की अवधि में स्वंय की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण किया जायेगा।

7. महाविद्यालय का समस्त आय–व्यय (लेन–देन) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जायेगा तथा महाविद्यालय के आय–व्यय का पृथक लेखा जोखा संधारित कर प्रति वर्ष आडिट कराया जायेगा, जिसे निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

8. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को कमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

9 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर के नियमानुसार करवाया जायेगा।

10 संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमानुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क का अनुमोदन सम्बन्धित विश्वविद्यालय से करवाया जायेगा ।

11. संस्था के पास सतत और कुशलतापूर्वक ढंग से कार्य करने के लिये अपने स्रोतो से पर्याप्त आवृत्ति आय है ।

12. महाविद्यालय को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित कर दिया गया है ।

13. महाविद्यालय की बेवसाईट बना ली गई है ।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पांये जाते हैं तो इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर मय दिनांक

(अध्यक्ष/सचिव प्रबंध समिति)

<u>अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि / स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र / स्थान परिवर्तन / सहशिक्षा में परिवर्तन / नाम परिवर्तन / प्रबन्ध अन्तरण / नवीन विषय / नवीन संकाय / स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन चाहने हेतु</u>

(केवल पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिए)

(चेक लिस्ट)

1. समिति के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं विधान की प्रति।
2. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची मय दूरभाष (मोबाईल) नम्बर ।
3. सहशिक्षा में परिवर्तन / स्थान परिवर्तन / नाम परिवर्तन / प्रबन्ध अन्तरण हेतु प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति।
4. संस्था के महाविद्यालय (नाम व पता) एवं संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें) के संयुक्त खाते में स्थाई निधि में 5 वर्ष के लिए जमा राशि के एफ.डी.आर. की प्रति ।
5. महाविद्यालय के स्वयं की भूमि–भवन के पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियॉ (भूमि का माप केवल वर्ग मीटर में) स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने पर भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण का दस्तावेज ।
6. भवन का मानचित्र जिसमें महाविद्यालय का नाम व पता स्पष्ट लिखा हो (वर्तमान भवन मानचित्र पीडब्लूडी / सक्षम अधिकारी से प्रमाणित) एवं सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर के छाया चित्र।
7. नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी– यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास संस्थान, राजस्थान पुल निर्माण अथवा पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रमाणित) ।
8. महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक (यूजीसी योग्यताधारी) एवं अशैक्षणिक स्टाफ **<u>की अलग–2 सूची</u>**। स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने पर यूजीसी योग्यताधारी स्थाई स्टॉफ की सूची के साथ संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति ।
9. स्टॉफ का बैक द्वारा वेतन के भुगतान का प्रमाण पत्र।
10. समस्त स्टॉफ की पी.एफ कटौती का प्रमाण पत्र।
11. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चत करने का घोषणा पत्र।
12. गत तीन वर्षो में महाविद्यालय में संकाय / कक्षा / विषयवार छात्र / छात्राओं की संख्या का विवरण, सारणी में प्रस्तुत करे। (टी0 आर0 संलग्न नहीं करें)।
13. गत तीन वर्षो के परीक्षा परिणाम का विवरण, सारणी में प्रस्तुत करे। (टी0 आर0 संलग्न नहीं करें)।
14. **<u>राजस्व क्षेत्र में राजस्व अधिकारी तथा स्थानीय निकाय क्षेत्र में उसके सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र कि संस्था का भवन संस्था के नाम दर्शायी गयी भूमि (पूरा पता)पर ही स्थित है।</u>**
15. महाविद्यालय को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित करने का प्रमाण पत्र (संलग्न) ।

उपरोक्त समस्त दस्तावेजो की फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करें अपितु निरीक्षण अधिकारी को उपलब्ध करावें एवं उनसे प्रमाणित कराकर निरीक्षण रिपोर्ट हेतु प्रस्तुत करें ।

नोट :– **सम्पूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एव नियम 1993" देखें और** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा कालेजों को सम्बद्धता) विनियम, 2009 एवं समय–समय पर यू.जी.सी. द्वारा प्रसारित तत्सम्बन्धी समस्त अधिनियमों का भी अवलोकन करें ।

आवेदन पत्र का प्रारूप

अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि/स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्थान परिर्वतन/सहशिक्षा में परिवर्तन /नाम परिवर्तन/प्रबन्ध अन्तरण/ नवीन विषय/ नवीन संकाय/ स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन चाहने हेतु

(केवल पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिए)

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आवेदित सत्र ....

भाग – 'अ'

महाविद्यालय संबंधी सामान्य विवरण (कृपया सम्बन्धित को चिहि्त करें)

I महाविद्यालय का प्रकार सामान्य/ विधि

II महाविद्यालय की श्रेणी सहशिक्षा / महिला

III क्या महाविद्यालय पिछडे क्षेत्र में आता है– हां / नहीं

(अगर हां तो नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

IV क्या महाविद्यालय आरक्षित क्षेत्र में आता है– हां / नहीं

(अगर हां तो नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

V आवेदन शुल्क राशि रू0......................चालान क्रमांक ....दि0 ....बैक..................

(चालान/ रसीद के पीछे समिति/महाविद्यालय का नाम व स्थान अवश्य अंकित करे)

VI एफ.डी.आर. राशि रू0 .... क्रमांक ....दि0 .... बैक............
अवधि..

VII महाविद्यालय स्थापना वर्ष (प्रथम एन.ओ.सी. की प्रति संलग्न करें) ....

1. महाविद्यालय का वर्तमान नाम एवं ....

   पूर्ण पता ....

   पिन कोड ....तहसील.............................उपखण्ड ....जिला......

   लोकसभा क्षेत्र .... विधान सभा क्षेत्र........................

   दूरभाष नं. मय एसटीडी कोड ....

   फैक्स नं. ....

   मोबाइल ....

   ई–मेल पता ....

   संस्था की बेबसाईट का पूर्ण पता (आवश्यक) ....

I.I स्थान परिवर्तन / नाम परिवर्तन की स्थिति में ....

महाविद्यालय का प्रस्तावित नाम एवं पूर्ण पता ....

....

(स्थान परिवर्तन की स्थिति में नवीन स्थान के भूमि एवं भवन के पंजीकृत दस्तावेज संलग्न करें एवं उन्हीं का निरीक्षण करावें)

I.II सहशिक्षा परिवर्तन की स्थिति में ....

महाविद्यालय का प्रस्तावित नाम एवं पूर्ण पता ....

I.III प्रबन्ध अन्तरण की स्थिति में क्रयकर्ता समिति / ट्रस्ट ....

का नाम व पता ....

(राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 10.VI के अनुरूप परिशिष्ट 6 में दिये गये प्रारूप की पूर्ति कर क्रयकर्ता समिति / ट्रस्ट के आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

I.IV **नवीन विषय / नवीन संकाय / स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन चाहने की स्थिति में –**

नवीन विषय ....

नवीन संकाय ....

स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन – संकाय एवं विषय ....

2. सम्बद्धक विश्वविद्यालय ....

3. प्राचार्य का नाम व मोबाईल नं. ....

ई–मेल पता ....

4. प्रबन्ध समिति के सचिव का नाम, पता व..

मोबाईल नम्बर..

. ई–मेल पता ....

5. समिति / ट्रस्ट का नाम व पता मय..

पंजीकरण कमांक एवं दिनांक ....

6. समिति / ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के नाम ....

....

7. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत विधान की प्रति संलग्न करें ....

8. पंजीयक द्वारा अनुमोदित वर्तमान प्रबन्ध समिति..

के सदस्यों के नाम,पते, टेलीफोन नंम्बर, व्यवसाय (सूची संलग्न करें)

9. वर्तमान प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की तिथि ....

भाग – 'ब'

आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी विवरण– (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

1. भूमि–

(अ) 1. सरकार से आवंटित 2. निजी व्यक्ति से क्रय 3. दान से प्राप्त

(ब) भूमि का क्षेत्रफल **केवल** वर्ग मीटर में .... खसरा नं0 / प्लाट नं0.........................
....

(संस्था के नाम भूमि के पंजीकृत दस्तावेज संलग्न करें)

2. भवन :–

1. सरकार से आवंटित 2. निजी व्यक्ति से क्रय 3. दान से प्राप्त 4. लीज पर 5. किराये पर

(अ) भवन का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)

1. महाविद्यालय 2. समिति / ट्रस्ट

3. अन्य(स्पष्ट नाम लिखें) ....

(भवन का प्रमाणित ब्ल्यू प्रिन्ट, स्वामीत्व / किरायानामा के पंजीकृत दस्तावेज, नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(ब) भवन का क्षेत्रफल केवल वर्ग मीटर में ....खसरा नं0 / प्लाट नं0...............

(स) कक्षों की संख्या व आकार लिखें :–

प्रशासनिक

	प्राचार्य कक्ष	उपाचार्य कक्ष	स्टाफ रूम	कार्यालय कक्ष	भंडार कक्ष	क्रीडा कक्ष
मापवर्गफुटमें						
कमरा नं.						

अकादमिक

कक्षा कक्षों की कुल संख्या ..		प्रयोगशाला की कुल संख्या.......	पुस्तकालय	वाचनालय	सभा भवन
मापवर्गफुटमें					
कमरा न					

छात्र सुविधाएं

कामन रूम	साईकिल स्टेण्ड	जल भंडारण	पुरूष टायलेट्स	महिला टायलेट्स	खेल मैदान

(द) अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि की स्थिति में यदि भवन किराये का है तो –

I भूमि व भवन के मध्य दूरी ....

II स्वयं के भवन निर्माण की प्रगति...

(दस्तावेज संलग्न करें)

भाग – 'स'

अकादमिक सूचनाओं का विवरण

1.राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रानुसार निर्धारित सम्बद्धक विश्वविद्यालय का नाम ....

....

2. संस्था को जारी प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र..
एवं गत सत्र की अभिवृद्धि की छाया प्रति
तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के दस्तावेजों की प्रति
(फोटो प्रति संलग्न करें)

3. संचालित संकाय/विषय (ऐच्छिक विषयों सहित) ....

....

4. सम्बद्धक विश्वविद्यालय में चाहे विषय/संकाय
उपलब्ध होने बाबत शपथ पत्र ....

5. महाविद्यालय हेतु नियुक्त किये गये स्टाफ का विवरण –

क0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	
2	व्याख्याता	
3	पुस्तकालयाध्यक्ष	
4	पी.टी.आई.	
5	कार्यालय स्टाफ	
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
7	अन्य	

6. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का विवरण
(तालिका के अनुसार अलग से सूची बनाकर प्रस्तुत करें)

क. सं.	नाम	पद	विषय	स्थायी/ अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतनमान	मूल वेतन	मासिक वेतन एवं भत्ते	भविष्य निधि अंशदान

(योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करें)

निगम,

R

7. महाविद्यालय में उपलब्ध अशैक्षणिक स्टॉफ का विवरण ।

(तालिका के अनुसार अलग से सूची बनाकर प्रस्तुत करें)

क्र. सं.	नाम	पद	स्थायी / अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतनमान	मूल वेतन	मासिक वेतन एवं भत्ते	भविष्य निधि अंशदान

(योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करें)

8. गत तीन वर्षो में महाविद्यालय में संकायवार, कक्षावार एवं ....
विषयवार अध्ययनरत नियमित छात्रो की संख्या ....
(सारणी प्रस्तुत करें, टीआर संलग्न नहीं करें)

9. गत तीन वर्षो का परीक्षा परिणाम संलग्न करें ....
(सारणी प्रस्तुत करें, टीआर संलग्न नहीं करें)

हस्ताक्षर मय दिनांक
(अध्यक्ष / सचिव प्रबंध समिति)

भाग – 'द'

घोषणा पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री..................................

अध्यक्ष/सचिव..एतद्द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की पालना की घोषणा करता/करती हूँ कि–

1 महाविद्यालय में सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर खुले विज्ञापन द्वारा राज्य सरकार के नियमो व नीतियों के अनुसार नियुक्त किया गया है तथा भविष्य में भी किया जाकर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2 महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म/ राजनैतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन हेतु नहीं होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनीतिक प्रचार–प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरूद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति/धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

4. महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्र में संचालित किया जायेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

5. महाविद्यालय के संचालन हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः (Intoto) पालना की जायेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

6. संस्था द्वारा महाविद्यालय स्थापना से तीन वर्ष की अवधि में स्वंय की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण कर लिया गया है/ किया जावेगा।

7. महाविद्यालय का समस्त आय–व्यय (लेन–देन) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जा रहा है तथा महाविद्यालय के आय–व्यय का पृथक् लेखा जोखा संधारित कर प्रति वर्ष आडिट कराया जाता है और भविष्य में भी करवाया जाता रहेगा जिसे निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर उपलब्ध करवाया जायेगा ।

8. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को कमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाता है तथा भविष्य में भी दिया जाता रहेगा।

9 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर के नियमानुसार करवाया जा रहा है तथा भविष्य में भी करवाया जाता रहेगा ।

10 संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमानुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क का अनुमोदन सम्बन्धित विश्वविद्यालय से करवाया जा रहा है तथा भविष्य में भी करवाया जाता रहेगा ।

11. संस्था के पास सतत और कुशलतापूर्वक ढंग से कार्य करने के लिये अपने स्रोतो से पर्याप्त आवृत्ति आय है ।

12. महाविद्यालय को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित कर दिया गया है ।

13. महाविद्यालय की बेवसाईट बना ली गई है ।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर मय दिनांक
(अध्यक्ष/सचिव प्रबंध समिति)

राजस्थान सरकार
कॉलेज–शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

निजी महाविद्यालयों हेतु विवरणिका

यह प्रगति प्रतिवेदन सभी महाविद्यालयों को प्रतिवर्ष पूर्णकर कॉलेज शिक्षा विभाग में जमा करवाना आवश्यक है ।

1. महाविद्यालय का नामः–
   पताः–

2. स्थापना वर्ष :–
3. संचालित संकाय :–
   विषय :–
   :–
   :–
   :–

3.1 दूरभाष नम्बर एवं मोबाईल नम्बर :–
3.2 बेबसाईट का पता :–
3.3 ई–मेल का पता :–
4. संकाय वार एवं कक्षावार छात्रसंख्या – अलग सारिणी संलग्न करें। (वर्तमान सत्र)

5. कंक्षावार वि.वि. परीक्षा परिणाम – निम्नलिखित प्रारूप मे सारिणी संलग्न करे। (गत सत्र)

कक्षा	विषय	परीक्षा में प्रविष्ट	उतीर्ण	उतीर्ण %

6. महाविद्यालय में नियुक्त शैक्षणिक स्टॉफ– प्राचार्य, उपाचार्य, व्याख्याता, पीटीआई, लाईब्रेरियन– निम्नलिखित प्रारूप में सूची संलग्न करे।

क.सं.	पद	नाम	योग्यता	अनुभव	वेतन

7. महाविद्यालय में नियुक्त अशैक्षणिक स्टॉफ– (लेखाकार, लिपिक, सहायककर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी) पूर्वोक्त प्रारूप में सूची संलग्न करे।

8. छात्र सुविधाओं की स्थितिः–

1. पेयजल–
2. विद्युत–
3. स्वच्छताः–
4. शौचालय की संख्या – छात्र............छात्रा.............स्टाफ ....
4.1 पेशाबघर की संख्या – छात्र............छात्रा.............स्टाफ ....

नोट :– शौचालय एवं पेशाबघर छत, दरबाजे, सांकल कुन्दी, जल जल निकासी एवं साफ–सफाई युक्त होने चाहिये ।

5. पुस्तकालय (पुस्तकों की संख्या)
6. वाचनालय(पत्रपत्रिकाओं की संख्या)
7. गर्ल्स कॉमन रूम–
8. खेल मैदान–
9. खेल सामग्री (विवरण)–
10. फर्नीचर –
11. वाहन स्टैण्ड–

9. नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त छात्रहित में संचालित अन्य पाठ्यक्रमः– (कम्प्युटर, कौशल एवं आजीविका आदि)

10. अन्य गतिविधियों का विवरण–
(एन.एस.एस, एन.सी.सी, रोवरिंग/रेंजरिंग, महिला प्रकोष्ठ, योजना मंच, छात्र रोजगार परामर्श केन्द्र)

11. किराये का भवन होने पर स्वयं के भवन निर्माण की प्रगति–
(वर्तमान भवन का नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र संलग्न करें)

12. भूमि एवं भवन

1 कुल भूमि का विवरण खसरा नं0........................क्षेत्रफल.................
स्वामीत्व –
भू –उपयोग–कृषि भूमि/सांस्थानिक (शैक्षणिक)

2 भवन का स्वामित्व–स्वयं का/किराया/लीज
कुल कक्ष
कक्ष वाइज कक्षों की माप–

3 नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषणा

प्रमाण पत्र

महाविद्यालय का नाम व पता ....

....

....

को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किया जाता है । महाविद्यालय द्वारा सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 और 6(ब) के अन्तर्गत कार्यवाही कर ली गई है ।

प्राचार्य / संस्था सचिव
के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट – IV

S.No	Trades	S.No	Trades
1	Accounting & Taxation	40	Hospitality Management
2	Agricultural Operation and Management, Soil Sciences	41	Hotel Management and Catering Technology
3	Analytical Chemistry Techniques for Pharmaceuticals	42	Industrial Pollution & Waste Water Treatment
4	Animation and Multimedia	43	Information Technology Enabled Services and Web Technology
5	Aquaculture	44	Interior Decoration & House Keeping
6	Automobile	45	Jewellery Design
7	Banking	46	Mass Communication
8	Beauty and Wellness	47	Mining
9	Beauty Hair & Hair Dressing	48	Mobile Communication
10	Building Technology	49	Mobile Repairing and Basics of DTH Installation
11	Cadiac Lab Technology	50	Museology
12	Carpentry	51	Mushroom Cultivation
13	Cast Iron Foudry Technology	52	Nursery management
14	Civil Construction Supervision	53	Office Automation and E-Service
15	Clinical Science and Medical Lab Technology	54	Organic Farming
16	Computer Application and IT	55	Pharmaceuticals
17	Computer Hardware and Networking Maintenance	56	Photographic Video Production
18	Computer Animation & Multimedia	57	Pisciculture
19	Computerized Shoe Design and Development	58	Pneumatic & Hydraulic Machine Engineering
20	Dairy Sciences	59	Power Plant Chemistry
21	Desktop publishing	60	Printing Technology
22	Dietics & Nutrition	61	Pulp and Paper Technology
23	Diploma in Office Automation and E-governance	62	Radiographics & Imaging
24	Dress Designing & Tailoring	63	Readymade Garments
25	Drip Technology	64	Renewable Energy
26	Electrician	65	Retail Management
27	Embroidery	66	Rubber Technology
28	Farm Management and Agriculture	67	Sericulture
29	Fashion Technology	68	Stock Market & Trading Operations
30	Fianancial Services	69	Sugar Industry and Processing
31	Fish Fishery	70	Tea Plantation and Management
32	Food Processing and Preservation	71	Taxtile and Ginning Technology
33	Foundry Technology	72	Theatre Art and Stage Craft with multiple exit option
34	Fruit and Vegetable Technology	73	Top Publishing
35	Graphic Art	74	Travel and Tourism
36	Green House Technology	75	Two Wheeler Machanism and Maintenance
37	Health Care	76	Visual Communication
38	Home Science (Creche Management)	77	Website Designing & Management
39	Horticulture	78	Welding and Fabricantion